राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3674–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.9.2012 पारिति द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक रा0अ0 159/अपील/10–11.

.....

श्रीमती कृष्णाबाई पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण गौर,
निवासी टिमरनी, तहसील टिमरनी, जिला हरदा,
मध्य प्रदेश । ..... आवेदिका

विरूद्ध

श्रीमती भागवतीबाई पत्नि बालाराम गौर,
निवासी हनुमान मोहल्ला, टिमरनी, तहसील
टिमरनी, जिला हरदा, मध्य प्रदेश ..... अनावेदिका

.....

श्री बी0के0 यादव, अभिभाषक, आवेदिका
श्री ए0पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदिका

.....

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक :30 मई, 2014)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्य प्रेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.9.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सतीबाई द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 109,110 एवं 178 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम टिमरनी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 160 रकबा 14.00 एकड़ सतीबाई, दगड़ीबाई एवं अनावेदिका

भागवतीबाई के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है । उनके मध्य 15–20 वर्ष पूर्व से विभाजन होकर, अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं । वह अपना तथा साथ में अपने पुत्र का नाम पृथक कराना चाहती है । साथ ही आवेदिका के स्वर्गीय काका गोपाल का एक पुत्र रामेश्वर है, जिसका भूमि पर नाम नहीं है किन्तु मौके पर मैनें तथा दगड़ीबाई उसे 3.00 एकड़ भूमि दी है, उसके पश्चात् 5.50 एकड़ भूमि मेरे हिस्से में तथा 8.50 एकड़ भूमि जिसमें रामेश्वर की 3.00 एकड़ भूमि भी सम्मिलित है । अतः तदनुसार बटवारा नामांतरण स्वीकृत किया जाये ।

त्हसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/अ–27/90–91 दर्ज कर कार्यवाही की जाकर, दिनांम 16.12.1992 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा लगभग 14 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात् प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31.5.2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर, प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.9.2012 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये गये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा 15 वर्ष पश्चात् अत्यधिक विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी को अपील अवधि बाह्य होने से ही निरस्त करना थी, इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्यायहित में अपील समय सीमा में मान्य कर गुणदोष पर विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को मुख्यतः तीन आधारों पर निरस्त किया गया है । प्रथम संहिता की धारा 178 के प्रकरण में संहिता की धारा 109 एव 110 का उल्लेख किया गया है, जबकि दोनों के प्रावधान पृथक–पृथक हैं, द्वितीय तहसीलदार द्वारा तीन माह के लिये कार्यवाही स्थिगित नहीं की गई है, तृतीय मूल भूमिस्वामी नन्दू की मृत्यु उत्तराधिकार अधिनियम आने के पूर्व हो जाने से पुत्री

सतीबाई एवं उसकी बहू आवेदिका को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । प्रथम आधार के सम्बन्ध में तर्क है कि तहसील न्यायालय द्वारा वास्तव में बटवारा आदेश पारित किया गया है, गलत धारा का उल्लेख करने मात्र से आदेश अवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है । द्वितीय आधार भी उचित नहीं है क्योंकि अनावेदिका द्वारा स्वत्व का प्रश्न उठाये जाने के तीन माह की अवधि के पश्चात बटवारा आदेश पारित किया गया है, यदि वास्तव में स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होता तो इस अवधि में अनावेदिका व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर सकती थी, परंतु उसके द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त अनावेदिका द्वारा तीन माह के लिये कार्यवाही स्थगित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति का निराकरण तहसीलदार द्वारा दिनांक 11.12.92 को अंतरिम आदेश पारित कर किया गया है, उक्त आदेश को आवेदिका द्वारा चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है । तृतीय आधार इसलिये विधिसंगत नहीं है कि मूल भूमिस्वामी स्वर्गीय नन्दू की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावशील होने के पूर्व हो जाने से सतीबाई को कोई स्वत्व प्रश्नाधीन भूमि में प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि नन्दू की मृत्यु के उपरांत सतीबाई का नाम राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1968–69 में दर्ज हुआ है, उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, जिस कारण वह अंतिम हो गया है, इसलिये बटवारा प्रकरण में उक्त बिन्दू पर विचार नहीं किया जा सकता है । तर्क के समर्थन में 1997 एम0पी0एल0जे0(1) नोट न0 4 एवं 2007(3) एम0पी0डब्लू0एन0 125 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका की ओर से निगरानी मेमों में नामांतरण प्रकरण माने जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि तर्क विभाजन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये हैं । यह भी कहा गया कि इस प्रकरण में क्षेत्राधिकार एवं पक्षकारों के कुसंयोजन के दोष का बिन्दु विचारणीय नहीं है, अतः आवेदिका की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा किये जाने के आदेश को चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है, और अब यह बिन्दु नहीं उठाया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका की ओर से स्वत्व के सम्बन्ध में आपत्ति दिनांक 9.10.91 को उठाई गई है, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा तीन माह के लिये कार्यवाही स्थगित नहीं की गई । यह भी कहा

गया कि आवेदिका के द्वारा 5.50 एकड़ भूमि की मांग की गई थी, जबकि तहसीलदार द्वारा 7.00 एकड़ भूमि बटवारें में दी गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन 14.00 एकड़ भूमि पर अनावेदिका का ही स्वत्व एवं कब्जा है, फिर भी यदि यह माना भी जाये कि 7.00 एकड़ भूमि नन्दू की पत्नी गोपीबाई की है, तब भी गोपीबाई की मृत्यु उपरांत 3.50 एकड़ भूमि पुनः दगड़ीबाई को प्राप्त होगी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका की ओर से निगरानी मेमों में साक्ष्य हेतु प्रकरण आयुक्त को प्रत्यावर्तित करने का उल्लेख किया गया है, तब तहसीलदार का आदेश उचित होने सम्बन्धी प्रस्तुत तर्क त्रुटिपूर्ण है । तर्क के समर्थन में 2003 आर0एन0 259, 1994 आर0एन0 102, 1995 आर0एन0 27, 1976 आर0एन0 31, 1979 आर0एन0 573, 2002 आर0एन0 355, 1986 आर0एन0 305 एवं 2005 आर0एन0 105 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अ–27 मद में प्रकरण दर्ज किया गया है, और अ–27 मद के अंतर्गत बटवारे की कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया जाता है । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर साक्ष्य आदि ली जाकर, उनकी विवेचना कर सकारण आदेश पारित कर 40/– रूपये के स्टाम्प पर बटवारा स्वीकृत किया गया है एवं आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 40/– के स्टाम्प प्रस्तुत किये जाने पर पटवारी रिकार्ड दुरूस्त करें । स्पष्टतः तहसीलदार द्वारा केवल बटवारा आदेश पारित किया गया है, बटवारा एवं नामांतरण आदेश पारित नहीं किया गया है । आवेदन पत्र में गलत धारा का उल्लेख करने मात्र से तहसीलदार के आदेश को अवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है । अतः इस सम्बन्ध में आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित नहीं है कि आवेदिका सतीबाई की ओर से संहिता की धारा 109,110 एवं 178 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं था, क्योंकि विधि के प्रावधानों के अनुसार नामांतरण एवं बटवारे की कार्यवाही एक साथ नहीं की जा सकती है । इस सम्बन्ध में अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदिका की ओर से दिनांक 9.10.91 को जबाव प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का कोई स्वत्व नहीं होने का उल्लेख किया गया है, परंतु

व्यवहार वाद प्रस्तुत करने हेतु तीन माह तक कार्यवाही स्थगित रखे जाने की मांग नहीं की गई है । इसके पश्चात् तहसीलदार द्वारा प्रकरण में साक्ष्य हेतु अनेक पेशियां नियत की गई, और अनावेदिंका के अभिभाषक निरंतर उपस्थित होते रहे एवं दिनांक 8.7.92 को अनावेदिका की ओर से साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई तथा प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया, परंतु लगभग 9 माह की अवधि में न तो अनावेदिका की ओर से स्वत्व के निराकरण हेतु व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है, और न तीन माह के लिये कार्यवाही स्थगित किये जाने की मांग की गई । अनावेदिका की ओर लगभग एक वर्ष पश्चात् अंतिम तर्क के स्तर पर दिनांक 28.8.92 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर तीन माह के लिये कार्यवाही स्थगित किये जाने की मांग की गई । इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा दिनांक 11.12.92 को अंतरिम आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अनावेदिका की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से तीन माह की अवधि व्यतीत हो चुकी है, और अनावेदिका की ओर से व्यवहार वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः बटवारे की कार्यवाही जारी रखी जाना उचित है, अनावेदिका के आवेदन पत्र का निराकरण किया गया है । उक्त अंतरिम आदेश को अनावेंदिका द्वारा चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है । इसके अतिरिक्त सतीबाई अभिलिखित भूमिस्वामी है, और तहसीलदार द्वारा अभिलिखित भूमिस्वामियों के मध्य ही बटवारा आदेश पारित किया गया है, इसलिये स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होना परिलक्षित नहीं होता है । अतः इस सम्बन्ध में भी आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है । अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी नन्दू थे, उनकी मृत्यु के उपरांत राजस्व अभिलेखों में नन्दू के पुत्र बट्टू एवं पुत्री सतीबाई का नाम दर्ज किया गया । तदुपरांत बट्टू की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी दगड़ीबाई एवं पुत्री भागवतीबाई का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया । सतीबाई के नामांतरण को अनेक वर्षो तक बटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के पूर्व किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई, अतः बटवारा प्रकरण में सतीबाई के स्वत्व को विचारणीय नहीं रह जाता है, क्योंकि संहिता की धारा 178 में अभिलिखित भूमिस्वामियों के मध्य बटवारा किये जाने का प्रावधान है । इस सम्बन्ध में अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि सम्पूर्ण 14.00 एकड़ भूमि पर अनावेदिका का स्वत्व एवं आधिपत्य है, क्योंकि राजस्व अभिलेखों में अंकित प्रविष्टि के विपरीत

निष्कर्ष निकालना न तो वैधानिक दृष्टि से उचित है और न ही न्यायिक दृष्टि से उचित है । अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य योग्य नहीं है कि निगरानी मेमों में नामांतरण प्रकरण मानने का उल्लेख किया गया है, और तर्क विभाजन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जा रहे हैं, क्योंकि तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में ही प्रस्तुत तर्को पर विचार किया जाना विधिसंगत है । चूंकि आवेदिका की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों पर विचार नहीं किया गया है, इसलिये इस सम्बन्ध में भी प्रस्तुत तर्क अमान्य किये जाने योग्य हैं । अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि तहसीलदार द्वारा तीन माह के लिये कार्यवाही स्थगित नहीं की गई है, ऊपर की गई विवेचना के प्रकाश में अमान्य योग्य है । आवेदिका की ओर से निगरानी मेमों में आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने का उपचार चाहा गया है, अतः अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि आवेदिका की ओर से निगरानी मेमों में साक्ष्य हेतु प्रकरण आयुक्त का प्रत्यावर्तित करने का उल्लेख किया गया है, अतः तहसीलदार का आदेश उचित होने सम्बन्धी प्रस्तुत तर्क त्रुटिपूर्ण है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगित नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.9.2012 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.5.2011 की पुष्टि की जाती है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(स्वदीप सिंह
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर